कार्यालय, नगर पंचायत मुरलीगंज,(मधेपुरा)

:-आदेश:-

जिला स्थापना आदेश संख्या- 271-2/स्था0, दिनांक- 25.04.2017 एवं इस कार्यालय के पत्रांक- 464 दिनांक-21.04.2017 के आलोक में संविदा के आधार पर कार्यालय नगर पंचायत, मुरलीगंज में एक अभ्यर्थी को कार्यपालक सहायक के पद पर निम्न शर्तो के अधीन नियोजित किया जाता हैं:-

क्र0	मेधा क्रमांक	अनुक्रमांक	पैनल के चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता /पति का नाम एवं पता	जन्म तिथि	कोटि
01	02	03	04	05	06	07
01	132	MDE000010	चन्दन कुमार दास	श्री लक्ष्मी दास, ग्राम+पो0- कबियाही थाना- शंकरपुर भाया- सिंहेश्वर, जिला- मधेपुरा।	03.02.1991	EBC

01. यह नियोजन अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये कभी भी समाप्त की जा सकती हैं।
02. यह नियोजन संविदा के आधार पर की गयी हैं। अतएव मानदेय का भुगतान सरकार के स्वीकृत मानदेय मो0/ 11,345.00 (ग्यारह हजार तीन सौ पेंतालिस) रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जएगा। मानदेय का भुगतान अभ्यर्थी द्वारा समर्पित शैक्षिणक योग्यता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, (आरक्षरण), आवसीय प्रमाण-पत्र इत्यादि सत्यापन के उपरांत हीं किया जाएगा।
03. सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में उक्त मानदेय की राशि घटाया- बढ़ाया जा सकता हैं।
04. यह नियोजन की तिथि से 01 (एक) वर्ष के लिए किया जायेगा और आवश्यकतानुसार यह अवधि बढ़ायी जा सकेगी।
05. योगदान के समय अभ्यर्थी को निम्न हार्डवेयर होना अनिवार्य होगा।
    1) एक डेस्क टॉप
    2) एक प्रिंटर (ब्लैक एण्ड व्हाईट)
    3) यू0पी0एस0
    4) इन्टरनेट कनेक्शन हेतु डाटा कार्ड।
06. कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी। इसमें लगने वाले पेपर, कार्टेज इत्यादि की आपूर्ति संबंधित कार्यालय द्वारा की जाएगी।
07. इन्टरनेट कनेक्शन का बिल नियोजित अभ्यर्थी द्वारा देय होगा।
08. नियोजित अभ्यर्थी को निदेश दिया जाता है कि वे असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा से स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र मूल में समर्पित करेंगें।
09. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे और सरकारी सेवक के अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होगें। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा नहीं बनेगा।
10. नियोजित अभ्यर्थी को छुट्टी की अनुमान्यता नहीं होगी। उन्हें सरकारी सेवकों को अनुमान्य आकस्मिक अवकाश मात्र अनुमान्य होगा।
11. नियोजित अभ्यर्थी अपना एकरारनामा विहित प्रपत्र में समर्पित करेंगे।

12. नियोजित अभ्यर्थी को निदेश दिया जाता हैं कि वे दिनांकः– 10.05.2017 तक अपना योगदान नवपदस्थापित कार्यालय में असैनिक शल्य चिकित्सक, मधेपुरा का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र तथा विहित प्रपत्र में एकरारनामा समर्पित करेंगे। निर्धारित तिथि के बाद आपका योगदान नहीं लिया जाएगा एवं आपके दावे को रद्द कर दिया जाएगा।

13. योगदान के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं हैं।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह०

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत मुरलीगंज,(मधेपुरा)

ज्ञापांकः–...501... न०पं० मुरलीगंज दिनांकः–...3/5/17...

प्रतिलिपिः– श्री चन्दन कुमार दास (अभ्यर्थी), को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई०टी० प्रबंधक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत मुरलीगंज,(मधेपुरा)

परिशिष्ट–1

संविदा के आधार पर नियोजन हेतु एकरारनामा

यह एकरारनामा बिहार प्रशासनिक सुधान मिशन सोसाइटी(सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार सरकार, पटना एवं चयनित/नियोजित होने वाले श्री/सुश्री/श्रीमति...............................के बीच निम्नलिखित शर्तों के साथ की जा रही हैं:-

01. यह नियोजन केवल **कार्यपालक सहायक** के पद के लिए किया जाएगा।
02. यह नियोजन संविदा के आधार पर नियोजन की तिथि से केवल एक वर्ष के लिए किया जायेगा लेकिन आवश्यकता अनुसार इसकी अवधि अगले एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी। संविदा की तिथि दिनांक...................... से दिनांक.................... तक होगी।
03. संविदा के आधार पर नियोजित श्री/सुश्री/श्रीमति................................ को दिनांक–.......... तक एवं दिनांक.................. से .... रुपये प्रतिमाह एकमुश्त राशि पारिश्रमिक के रुप में देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता देय नहीं होगा।
04. इस तरह के नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।
05. इस आधार पर भविष्य में नियमित नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
06. नियोजन के पूर्व नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
07. इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि (कंट्रेक्ट पीरियड) समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि एकमुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी।
08. संविदा पर नियोजन के पश्चात दोनों पक्षों को एकरारनामा की उपरोक्त शर्तें मान्य होगी। नियोजित व्यक्ति उपरोक्त एकरारनामा के किसी भी शर्त का उल्लंघन करेंगे तो एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

हस्ताक्षरः–

नाम :–

पदनाम :– **कार्यपालक सहायक**

(नियोजित व्यक्ति)